

डिक्री व मुकदमे की इब्जाजई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 18/2022

उनवान

- (1) जगपाल सिंह पिता किशोर सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) योगेन्द्र सिंह पिता दशरथ सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

:: वादीगण ::

बनाम

- (1) कमलेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) जयवर्धन सिंह पिता रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नी स्व० श्री रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

:: प्रतिवादीगण ::

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

दिनांक: 12.3.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू पक्षकारान् एवं वादी अभिभाषक राष्ट्रिय लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने हमराह अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत कर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे० भूमि में वादीगण जगपाल सिंह पिता किशोर सिंह राव, योगेन्द्र सिंह पिता दशरथ सिंह राव निवासी सागवाड़िया को सहखातेदार घोषित किया जाने पर सहमती प्रकट की जाने पर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे० भूमि में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाने का निर्णय पारित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 12.3.2022 को जारी की गई।

उप (हिनुमान सिंह राठौड़)
गढ़ी उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुदवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 18/2022

उनवान

- (1) जगपाल सिंह पिता किशोर सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) योगेन्द्र सिंह पिता दशरथ सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

:: वादीगण ::

बनाम


- (1) कमलेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) जयवर्धन सिंह पिता रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नि स्व0 श्री रणजीत सिंह राव निवासी सागवाड़िया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

:: प्रतिवादीगण ::

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 12.3.2022


प्रकरण राष्ट्रिय लोक अदालत में पेश हाने पर प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण ने हमराह अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत कर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे0 भूमि में वादीगण जगपाल सिंह पिता किशोर सिंह राव, योगेन्द्र सिंह पिता दशरथ सिंह राव निवासी सागवाड़िया को सहखातेदार घोषित किया जाने पर सहमती प्रकट की जाने पर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाने का निर्णय पारित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।


(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण व प्रतिवादीगण ने हमराह अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत कर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे0 भूमि में वादीगण जगपाल सिंह पिता किशोर सिंह राव, योगेन्द्र सिंह पिता दशरथ सिंह राव निवासी सागवाड़िया को सहखातेदार घोषित किया जाने पर सहमती प्रकट की जाने पर पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा सागवाड़िया की खाता संख्या 300 (नई) 287 (पुरानी) के कुल किता 37 रकबा 3.77 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाने का निर्णय पारित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

10.8.22

पसावली पेशा हुई प्रतिवादीगण के नाम
जारी सम्मन बाद तमीन प्राप्त प्रतिवादीगण की
ओर से श्री जगदीश चरण अग्निशायक का
अमानत नामा पेशा हुआ पसावली वस्तु जवाब
द्वारा आगामी शायीम लोक अमानत से राजीनामा
की मध्यमजर रखते हुए। लोक अमानत के
समक्ष तिनांक 12.3.22 को उपस्थित हेतु
नोटिस जारी किया पसावली तिनांक 12.3.22
को पेशा है।

~~जगदीश चरण अग्निशायक~~
12.3.22
पसावली

12.3.22

पसावली शक्तिम लोक अमानत के पेशा
डोकट पसावली द्वारा शायीम अमानत के
जारी से उक्त पेशा के निमित्त शक्तिम पेशा
से जारी डोकट पसावली केसल अमानत के
दामिबल दफार की जाती है।

~~जगदीश चरण अग्निशायक~~
दि 10.3.22
को पसावली
शायीम
मध्यमजर
पसावली
जगदीश चरण अग्निशायक

सदस्य
लोक अमानत पेशा अधिकारी अथवा
शायीम विधिक सेवा समिती, जिला अमानत विधिक सेवा समिती
विधिक न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि
मदी जिला अमानत (सब)